# बृहन्मुंबई महानगरपालिका

कामगार विभाग

जाहिरातीचा मसुदा

क्र.प्रकाअ/585/एमसी दि.11.08.2026

शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अंतर्गत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत शिकाऊ उमेदवार (Trade Apprentice) भरती करण्यांकरीता महानगरपालिका आयुक्त यांची संदर्भ क्र.एमजीसी/0673 दि.16.06.2026 अन्वये मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

शिकाऊ उमेवार कायदा 1961 अंतर्गत महानगरपालिकेच्या विविध खाते/विभाग/रुग्णालयातील आयटिआय उदिमांतील प्रशिक्षणार्थींची एकूण 612 पदे निश्चित केलेली आहेत. प्रशिक्षणार्थींचा महानगरपालिकेतील प्रशिक्षण कालावधी एक वर्षासाठी असेल. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य आणि सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक) मुलभूत प्रशिक्षण तथा अनुषांगिक सूचना केंद्र, ए.ता.वि.,मुंबई यांनी आयोजित केलेल्या भरतीमेळाव्याच्या ठिकाणी प्रशिक्षणार्थींनी सादर करावयाचा अर्जाचा नमूना सोबत जोडलेला आहे. सदर जाहिरात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/for prospects/Careers-All/Recruitment/Chief Labour Officer या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, जाहिरातीनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

भरती मेळावा खालील तक्त्यामध्ये दिल्यानुसार दि.20.08.2026 व दि.21.08.2026 रोजी सकाळी 10.00 ते 5.00 या वेळेत, जामसाहेब मुकादम शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गोवंडी, एस.टी.वर्कशॉप जवळ, किरोळ रोड, विद्याविहार (प), मुंबई 400 086 येथे आयोजित करण्यात येणार आहे.

Mahabharti.in

| **दिनांक 20.08.2026** | | | | **दिनांक 21.08.2026** | |
|---|---|---|---|---|---|
| **अ.क्र.** | **उदिमाचे नाव** | **पदसंख्या** | **अ.क्र.** | **उदिमाचे नाव** | **पदसंख्या** |
| 1 | Electrician | **40** | 1 | Wireman | **33** |
| 2 | Plumber | **66** | 2 | Fitter | **58** |
| 3 | Refrigeration & Air Condition Mechanic | **6** | 3 | Messon (Building Construction) | **28** |
| 4 | Draughtsman Civil | **5** | 4 | Carpenter | **20** |
| 5 | Turner | **4** | 5 | Painter General | **13** |
| 6 | Desk Top Publishing Operator | **3** | 6 | Mechanic Motor Vehicle | **39** |
| 7 | Motor Vehicle Body Builder | **4** | 7 | Welder | **16** |
| 8 | Diesel Mechanic | **87** | 8 | Computer Operator and Programming Assistant | **154** |
| 9 | Machinist | **1** | 9 | Pump Operator Cum Mechanic | **35** |
| | **Total** | **216** | | | **396** |

## 1) सामाजिक / समांतर आरक्षण अंतर्गत भरावयाची पदे

| संवर्ग-जोडारी (Fitter) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-19,890/-) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | **42** | 16 | **58** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | **22** | 7 | **29** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | 2 | 2 | **12** | 5 | **17** |
| **माजी सैनिक 15%** | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **6** | 2 | **8** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **8** | **4** | **2** | **1** | **2** | **1** | **1** | **11** | **6** | **6** | **42** | **16** | **58** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | 01 पद आरक्षित होत आहे. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 02 पदे आरक्षित होत आहेत. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद, b) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-तारतंत्री (Wireman) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-19,890/-) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | **23** | 10 | **33** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | **15** | 3 | **18** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **6** | 3 | **9** |
| **माजी सैनिक 15%** | 1 | | | | | | | 1 | | | **2** | 2 | **4** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **4** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **6** | **3** | **3** | **23** | **10** | **33** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 01 पद आरक्षित होत आहे. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

| संवर्ग-विजतंत्री (Electrician) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-19,890/-) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | **29** | 11 | **40** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | **18** | 4 | **22** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **7** | 3 | **10** |
| **माजी सैनिक 15%** | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | **4** | 2 | **6** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **5** | **3** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **8** | **4** | **4** | **29** | **11** | **40** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 02 पदे आरक्षित होत आहेत. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद, b) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-नळकारागीर (Plumber) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-17,680/-) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | **48** | 18 | **66** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | **24** | 8 | **32** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | **16** | 5 | **21** |
| **माजी सैनिक 15%** | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **6** | 3 | **9** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **9** | **5** | **2** | **2** | **2** | **1** | **1** | **13** | **6** | **7** | **48** | **18** | **66** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | 01 पद आरक्षित होत आहे. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 03 पदे आरक्षित होत आहेत. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद, b) – 01 पद, c) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

| संवर्ग-गवंडी (**Meson-Building Construction**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | **20** | 8 | **28** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | **13** | 5 | **18** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **6** | 2 | **8** |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **3** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **5** | **3** | **3** | **20** | **8** | **28** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 01 पदे आरक्षित होत आहे. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-सुतार (**Carpenter**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | **14** | 6 | **20** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | **9** | 3 | **12** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | **4** | 2 | **6** |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | | | **4** | **2** | **2** | **14** | **6** | **20** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 01 पदे आरक्षित होत आहे. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

**संवर्ग-रंगारी सर्वसाधारण (Painter General) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-19,890/-)**

| तपशील | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | एकूण मागास | खुला | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भरावयाची पदे | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| समांतर आरक्षण | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | एकूण मागास | खुला | एकूण |
| सर्वसाधारण | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| महिला आरक्षण 30% | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 3 |
| माजी सैनिक 15% | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| प्रकल्पग्रस्त 5% | | | | | | | | | | | | | |
| खेळाडू 5% | | | | | | | | | | | | | |
| भुकंपग्रस्त 2% | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 |
| अनाथ मुलांसाठी (1%) | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांगांसाठी (4%) | 01 पदे आरक्षित होत आहे. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

**संवर्ग-रेफ्रीजरेशन व एअरकंडीशन मेकॅनिक (Refrigeration & Air Condition Mechanic) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-19,890/-)**

| तपशील | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | एकूण मागास | खुला | एकूण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| भरावयाची पदे | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| समांतर आरक्षण | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | एकूण मागास | खुला | एकूण |
| सर्वसाधारण | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 4 | 1 | 5 |
| महिला आरक्षण 30% | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| माजी सैनिक 15% | | | | | | | | | | | | | |
| प्रकल्पग्रस्त 5% | | | | | | | | | | | | | |
| खेळाडू 5% | | | | | | | | | | | | | |
| भुकंपग्रस्त 2% | | | | | | | | | | | | | |
| एकूण | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | 4 | 2 | 6 |
| अनाथ मुलांसाठी (1%) | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| दिव्यांगांसाठी (4%) | पद आरक्षित होत नाही. (०.२४ पूर्णांकात ०० पद) दिव्यांग आरक्षित पदाअभावी, दिव्यांगांकरिता खात्याने सुनिश्चिती प्रस्ताविलेले/स्वीकारलेली नाही. यास्तव, सदर संवर्गातील रिक्त पदांवर दिव्यांग उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही. | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

| संवर्ग-संगणक ऑपरेटर आणि प्रोग्रामिंग सहाय्यक (**Computer Operator and Programming Assistant**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 20 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 29 | 15 | 15 | **110** | 44 | **154** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 6 | **48** | 19 | **67** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | **35** | 13 | **48** |
| **माजी सैनिक 15%** | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 2 | **16** | 7 | **23** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | **5** | 2 | **7** |
| **खेळाडू 5%** | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | **5** | 2 | **7** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | 1 | | | **1** | 1 | **2** |
| **एकूण** | **20** | **11** | **5** | **4** | **5** | **3** | **3** | **29** | **15** | **15** | **110** | **44** | **154** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | 02 पद आरक्षित होत आहे. [संस्थात्मक-01 पद, संस्थाबाह्य-01 पद] | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 06 पदे आरक्षित होत आहेत. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 02 पदे, b) – 02 पदे, c) – 01 पद, d & e) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-मेकॅनिक मोटार (**Mechanic Motor Vehicle**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**19,890/-**) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | **28** | 11 | **39** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | **17** | 4 | **21** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **7** | 3 | **10** |
| **माजी सैनिक 15%** | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | **4** | 2 | **6** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **5** | **3** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **7** | **4** | **4** | **28** | **11** | **39** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 02 पदे आरक्षित होत आहेत. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद, b) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

संवर्ग-ड्राफ्टसमन स्थापत्य (**Draughtsman Civil**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**19,890/-**)

| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **भरावयाची पदे** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | **4** | 1 | **5** |

समांतर आरक्षण

| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सर्वसाधारण** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 1 | **4** | 1 | **5** |
| **महिला आरक्षण 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | | | | | | |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **1** | | **1** | | | | | **1** | | **1** | **4** | **1** | **5** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | पद आरक्षित होत नाही. (०.२ पूर्णांकात ०० पद) दिव्यांग आरक्षित पदाअभावी, दिव्यांगांकरिता खात्याने सुनिश्चिती प्रस्तावितेले/स्वीकारलेली नाही. यास्तव, सदर संवर्गातील रिक्त पदांवर दिव्यांग उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही. | | | | | | | | | | | | |

संवर्ग-कातकाम (**Turner**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**19,890/-**)

| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **भरावयाची पदे** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | **3** | 1 | **4** |

समांतर आरक्षण

| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **सर्वसाधारण** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | **3** | 1 | **4** |
| **महिला आरक्षण 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | | | | | | |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **1** | | **1** | | | | | **1** | | | **3** | **1** | **4** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | पद आरक्षित होत नाही. (०.१६ पूर्णांकात ०० पद) दिव्यांग आरक्षित पदाअभावी, दिव्यांगांकरिता खात्याने सुनिश्चिती प्रस्तावितेले/स्वीकारलेली नाही. यास्तव, सदर संवर्गातील रिक्त पदांवर दिव्यांग उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही. | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

| संवर्ग-सांधाता (**Welder**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-17,680/-) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | **12** | 4 | **16** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | **8** | 2 | **10** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | **4** | 1 | **5** |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **2** | **1** | **1** | **1** | | | | **3** | **2** | **2** | **12** | **4** | **16** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 01 पद आरक्षित होत आहे. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-यांत्रिकी (**Machinist**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-19,890/-) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **महिला आरक्षण 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | | | | | | |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | | | | | | | | | | | | **1** | **1** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | पद आरक्षित होत नाही. (०.०४ पूर्णांकात ०० पद) आरक्षण अधिनियमातील तरतुदींनुसार, एकाकी पदास सामाजिक व समांतर आरक्षण लागू होत नाही. | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

| संवर्ग-पंप ऑपरेटर कम मेकॅनिक (**Pump Operator Cum Mechanic**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | **25** | 10 | **35** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | **15** | 3 | **18** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **6** | 3 | **9** |
| **माजी सैनिक 15%** | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | **4** | 2 | **6** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | 1 | **1** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **4** | **2** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **7** | **3** | **4** | **25** | **10** | **35** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 01 पद आरक्षित होत आहे. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-डिझेल मेकॅनिक (**Diesel Mechanic**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 9 | 9 | **63** | 24 | **87** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | **31** | 11 | **42** |
| **महिला आरक्षण 30%** | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | **21** | 7 | **28** |
| **माजी सैनिक 15%** | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 1 | **7** | 4 | **11** |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | 1 | | | | | | | 1 | | | **2** | 1 | **3** |
| **खेळाडू 5%** | 1 | | | | | | | 1 | | | **2** | 1 | **3** |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **11** | **6** | **3** | **2** | **3** | **2** | **2** | **16** | **9** | **9** | **63** | **24** | **87** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | 01 पद आरक्षित होत आहे. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | 03 पदे आरक्षित होत आहेत. [दिव्यांग प्रवर्ग a) – 01 पद, b) – 01 पद, c) – 01 पद] | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

| संवर्ग-मोटार बॉडी बिल्डर (**Motor Vehicle Body Builder**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | **3** | 1 | **4** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | **3** | 1 | **4** |
| **महिला आरक्षण 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | | | | | | |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **1** | | **1** | | | | | **1** | | | **3** | **1** | **4** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | पद आरक्षित होत नाही. (०.१६ पूर्णांकात ०० पद) दिव्यांग आरक्षित पदाअभावी, दिव्यांगांकरिता खात्याने सुनिश्चिती प्रस्ताविलेले/स्वीकारलेली नाही. यास्तव, सदर संवर्गातील रिक्त पदांवर दिव्यांग उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही. | | | | | | | | | | | | |

| संवर्ग-डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर (**Desktop Publishing Operator**) (अनुज्ञेय विद्यावेतन-**17,680/-**) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **तपशील** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **भरावयाची पदे** | 1 | | 1 | | | | | | | | **2** | 1 | **3** |
| समांतर आरक्षण | | | | | | | | | | | | | |
| **समांतर आरक्षण** | अजा | अज | विजा (अ) | भज (ब) | भज (क) | भज (ड) | विमाप्र | इमाव | आदुघ | साशैमाव | **एकूण मागास** | खुला | **एकूण** |
| **सर्वसाधारण** | 1 | | 1 | | | | | | | | **2** | 1 | **3** |
| **महिला आरक्षण 30%** | | | | | | | | | | | | | |
| **माजी सैनिक 15%** | | | | | | | | | | | | | |
| **प्रकल्पग्रस्त 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **खेळाडू 5%** | | | | | | | | | | | | | |
| **भुकंपग्रस्त 2%** | | | | | | | | | | | | | |
| **एकूण** | **1** | | **1** | | | | | | | | **2** | **1** | **3** |
| **अनाथ मुलांसाठी (1%)** | पद आरक्षित होत नाही. | | | | | | | | | | | | |
| **दिव्यांगांसाठी (4%)** | पद आरक्षित होत नाही. (०.१२ पूर्णांकात ०० पद) दिव्यांग आरक्षित पदाअभावी, दिव्यांगांकरिता खात्याने सुनिश्चिती प्रस्ताविलेले/स्वीकारलेली नाही. यास्तव, सदर संवर्गातील रिक्त पदांवर दिव्यांग उमेदवारांचा विचार केला जाणार नाही. | | | | | | | | | | | | |

Mahabharti.in

दिव्यांगाच्या आरक्षित पदाकरिता अर्ज करणाऱ्या शिकाऊ उमेदवाराने, खालील नमूद शारीरिक पात्रता व प्रशिक्षणार्थीची जबाबदारी आणि कर्तव्ये विचारात घेऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.

| **कर्तव्य / जबाबदारी** | **शारीरिक क्षमता/पात्रता** |
|---|---|
| महानगरपालिकेच्या विविध खाते/ विभाग/रुग्णालयातील कामकाजानुसार कामे करणे.<br>वरिष्ठांनी नेमूण दिलेली कामे करणे. | S=Sitting- (बसणे)<br>ST=Standing (उभे रहाणे),<br>W=Walking (चालणे),<br>BN=Bending (वाकणे)<br>RW=Reading & Writing (वाचणे आणि लिहिणे)<br>SE=Seeing(पाहणे)<br>H=Hearing (ऐकणे)<br>C=Comunication (संभाषण कौश्यल्य)<br>MF=Manipulation by Fingers (बोटांची हालचाल करणे). |

Mahabharti.in

**टिप:-**

1. सामाजिक व अन्य समांतर आरक्षण अंतर्गत प्रशिक्षणार्थींची पदे भरण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.
2. दिव्यांग उमेदवारांनी सदर पदाची कर्तव्ये, जबाबदारी, अपेक्षित शारिरीक क्षमता/पात्रता याबाबतची अपेक्षा दर्शविणारी माहिती संदर्भित करुन त्याप्रमाणे अर्ज करणे आवश्यक आहे. 40 % पेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवाराने दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्तीसाठी अर्ज केल्यास अशा उमेदवारांना अपात्र ठरविण्यात येईल.
3. अराखीव(खुला) पदांकरिता सर्व उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) विचार होत असल्याने, सर्व शिकाऊ उमेदवारांनी त्यांच्या अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ जात प्रवर्गाची माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
4. आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) शिकाऊ उमेदवारांकरिता वित्तीय वर्ष 2022-2023 /2023-2024 करिता महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.राआधो-4019/प्र.क्र.31/16 अ दि.12.02.2019 व दि.31.05.2021 अन्वये विहीत करण्यात आलेली कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.
5. मागास प्रवर्गातील शिकाऊ उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गामध्ये भरतीकरिता अर्ज करण्याची मुभा राहील. परंतु, एकाच उमेदवाराचे एकापेक्षा जास्त अर्ज विचारात घेता येणार नाहीत.

2) **<u>सामाजिक व समांतर आरक्षण.</u>**

1. **महिलांसाठी 30% प्रमाणे** आरक्षित पदे, महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.82/2001/मसेआ-2000/ प्र.क्र.415/ का-2 दि.25.05.2001 अन्वयेच्या शासन निर्देशानुसार भरण्यात येतील. तथापि, एखाद्या प्रवर्गात त्या प्रमाणात महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पदे त्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र पुरूष उमेदवारांमधून भरण्यात येतील.

2. **माजी सैनिकांसाठी 15% प्रमाणे** आरक्षित पदे, महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.आरटीए-1079/0/482/16-अ, दि.16.04.1981 मधील निर्देशानुसार भरण्यात येतील. शासन निर्देशानुसार,माजी सैनिक उपलब्ध न झाल्यास अशी पदे सदर भरती वर्षाकरिता रिक्त ठेवण्यात येतील. माजी सैनिकांकरिता आरक्षणासंदर्भातील तरतुदी शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार असतील. माजी सैनिकांनी जिल्हा सैनिक कल्याण मंडळाकडे नाव नोंदणी केलेली असणे आवश्यक आहे. उमेदवार माजी सैनिक असल्यास त्यांना जिल्हा सैनिक बोर्डात नाव नोंदणी केल्याच्या प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत, प्रथम कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळी व नंतर नियुक्तीच्यावेळी सादर करणे आवश्यक राहील.
3. **प्रकल्पग्रस्तांसाठी 5% प्रमाणे** आरक्षित पदे, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम,1999 - सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.11 नुसार शासनाने विहित केलेल्या नियमाच्या अनुषंगाने, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एईएम-1080/35/16-अ दि.21.01.1980 तसेच, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ठराव क्र.10 दि.03.04.2008 अन्वये मंजूर मार्गदर्शक तत्वानुसार, नगरबाह्य विभागातील ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जलप्रकल्पासाठी संपादित केली आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांसाठी पदे आरक्षित आहेत व ठाणे जिल्ह्यातील भातसा धरण प्रकल्पासंदर्भात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा ठराव क्र.231 दि.01.12.2020 अन्वये मंजूर झालेल्या 28 प्रकल्पग्रस्तांची गणना यामध्ये करण्यात येईल. तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहील.
4. **भूकंपग्रस्तांसाठी 2% प्रमाणे** आरक्षित पदे, महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. भूकंप-1009/प्र.क्र.207/2009/16-अ दि.27.08.2009 आणि शासन निर्णय क्र.भूकंप-1008/प्र.क्र.145/2008/16-अ दि.27.10.2008 मध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीनुसार भरण्यात येतील. तसेच, शासन निर्णय क्र.विकाक 2215/ प्र.क्र.337/16-अ दि. 04.11.2016 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार भूकंपग्रस्तासाठी आरक्षित असलेल्या पदाकरीता पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सदर पदे प्रकल्पग्रस्तांमधून भरण्यात येतील. तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार भुकंपग्रस्तांसाठीचे आरक्षण राहील.
5. **खेळाडूंसाठी 5 % प्रमाणे** आरक्षित पदे, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एमपीएम विभागाचे परिपत्रक क्र.एमपीएम/दोन/1260 दि.31.01.2017 सोबतचा महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.राक्रीधो-2002/प्रक्र.68/क्रीयुसे-2 दि.01.07.2016 तसेच सम क्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक दि.18.08.2016 आणि शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-1716/प्र.क्र.18/क्रीयुसे-2 दि.30.06.2022 मधील दिलेल्या निर्देशानुसार शासन मान्य क्रीडा प्रकारातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक स्त्री व पुरूष **खेळाडूंसाठी** 5% समांतर आरक्षण ठेवण्यात येईल.

   खेळाडू उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वीच विभागीय उपसंचालक यांचेकडून खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करुन घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे खेळाडू उमेदवाराने, महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.राक्रीधो-2002/प्रक्र.68/क्रीयुसे-2 दि.01.07.2016 अन्वये सुधारित तरतूदीनुसार विभागीय उपसंचालक, क्रिडा व युवक सेवा यांच्याकडून खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे उमेदवाराने कागदपत्रे पडताळणीच्यावेळीच विभागीय उपसंचालक, क्रिडा व युवक सेवा यांनी क्रीडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याबाबत प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक राहील.

   एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे असणाऱ्या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरिता, संबंधीत उपसंचालक,क्रिडा व युवक सेवा कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

Mahabharti.in

खेळाडु आरक्षणांतर्गत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या राज्य/ राष्ट्रीय स्पर्धेच्या प्रमाणपत्राबाबत शंका उद्भवल्यास आयुक्त/संचालक क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांच्याकडून विचारणा करण्यात येईल(शंका उद्भवल्याप्रकरणी विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांच्याकडील प्रमाणपत्र पडताळणी नंतर नियुक्तीची कार्यवाही करण्यात येईल).

6. **अंशकालीन पदवीधर (सुशिक्षित बेरोजगार)10%** प्रमाणे आरक्षित पदे, महाराष्ट्र शासनाच्या **'सुशिक्षित बेरोजगारांना अर्थसहाय्य'**हया योजनेंअतर्गत राज्य शासनाच्या कार्यालयात तीन वर्षापर्यंत दरमहा मानधनावर काम केलेल्या व रोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये या अनुभवाची नोंद केलेल्या पदवीधर/पदविकाधारक अंशकालीन उमेदवारांना शासकीय/ निमशासकीय सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-क आणि ड पदावरील करावयाच्या नियुक्त्यांसाठी 10% समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. **परंतु शिकाऊ उमेदवार यांची अर्हता दहावी असल्याने सदर आरक्षण येथे लागू होत नाही.**
7. **अनाथांकरिता 1% प्रमाणे** आरक्षित पदे, महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अनाथ-2022/प्र.क.122/का-03 दि.06.04.2023 सम क्रमांकाचे शासन पूरक पत्र दि.10.05.2023 मधील निर्देशानुसार भरण्यात येतील. प्रस्तु त पदासाठी अर्ज करताना अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय व शासन पूरक पत्रात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार, संस्थात्मक प्रवर्गातील तसेच संस्थाबाह्य प्रवर्गातील अनांथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून, सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही.

   अनाथ आरक्षणाच्या माध्यमातून अनाथांच्या एका प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांवर गुणवत्तेनुसार त्या प्रवर्गातील अनाथ उमेदवार पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले नाही तर ती पदे अनाथांच्या दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.

   तसेच अनाथ व्यक्तींचे आरक्षण यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार राहील. अनाथांसाठी आरक्षित पदावर गुणवत्तेनुसार निवड झालेल्या उमेदवारांचा समावेश, उमेदवार ज्या सामाजिक प्रवर्गाचा आहे त्या प्रवर्गातून करण्यात येईल.
8. **दिव्यांग आरक्षण 4% प्रमाणे** आरक्षित पदे, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या आधारे महाराष्ट्र शासन,सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय क्र.दिव्यांग 2018/प्र.क्र.114/16-अ दि.29.05.2019 तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तींच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल.

   दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पद संख्येपैकी असतील. दिव्यांग आरक्षणांतर्गत अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी किमान 40% दिव्यांगत्व असल्याबाबतचे शासकीय सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल.
9. **सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गात भरण्यात येणारी 10 % प्रमाणे आरक्षित पदे,** सन 2024 महाराष्ट्र शासन अधिनियम क्रमांक 16, दि.26.02.2024 अन्वये महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम 2024 मधील निर्देशांनुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची(सा.शै.मा.व.) रिक्त पदे भरण्यात येतील. त्याचप्रमाणे शासन शुद्धिपत्रक क्र.बीसीसी-2024/प्र.क्र.75/आरक्षण-3 दि.15.03.2024 मधील निर्देशानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी अर्ज करावयाच्या दिनांकापूर्वीचे सदर शुद्धिपत्रकासोबत जोडण्यात आलेल्या नमून्यातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी निर्गमित केलेले प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असेल. यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग उमेदवारांकरिताचे आरक्षण राहील. प्रस्तत भरती प्रक्रियेअंतर्गत शिकाऊ उमेदवार पदाकरीता निवड झालेल्या उमेदवारांची महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रक्र.संकीर्ण-2024/प्र.क्र.79/आरक्षण-5 दि.19.04.2024 मधील निर्देशांनुसार प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या आधीन असतील.

Mahabharti.in

10. **आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) प्रवर्गात भरण्यात येणारी 10 % प्रमाणे आरक्षित पदे,** महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.राआधो/4019/प्र.क्र.31/16-अ दि.12.02.2019 व सम क्रमांकाचा शासन निर्णय दि.31.05.2021 मधील निर्देशानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची (इ.डब्ल्यु.एस.) रिक्त पदे भरण्यात येतील. तसेच, सदर शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रक क्र.राआधो2023/प्र.क्र.40/16-अ दि.23.03.2023 मधील निर्देशानुसार विहित करण्यात आलेली कागदपत्रे पडताळणीच्यावेळी सादर करणे आवश्यक आहे.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या पात्रतेसाठी संबंधित तहसिलदार यांनी वितरित केलेले व राज्य शासकीय सेवा व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशाकरिता राज्य शासनाचा प्रमाणपत्राचा नमुना वापरणे आवश्यक आहे. केंद्रीय सेवांचा लाभ घेण्यासाठीचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र, राज्य शासकीय सेवांसाठीच्या पदभरती करिता वापरता येणार नाही.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मागासवर्ग कक्षाचे परिपत्रक क्र.एमबीसी/9520 दि.11.04.2001 सोबतचा महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-1997/प्र.क्र.63/97/16-ब दि.18.10.1997 मधील निर्देशानुसार, विमुक्त जाती(अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(क) व भटक्या जमाती(ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून, आरक्षित पदासाठी त्या-त्या प्रवर्गातील योग्य व पात्र शिकाऊ उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवारांचा विचार, गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मागासवर्गीय विभागाचे परिपत्रक क्र.एमबीसी/7100 दि.31.01.2012 सोबतचा महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग शासननिर्णय क्र.बीसीसी 2011/प्र.क्र.1064/ 2011/16ब दि.12.12.2011 मधील विहित केलेल्या निर्देशानुसार जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करावयाची कार्यवाही करणे आवश्यक राहिल.

3) **<u>शैक्षणिक अर्हता</u>**

- शिकाऊ उमेदवार माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र वा तत्सम किंवा उच्चतम परीक्षा 100 गुणांचे मराठी विषय घेऊन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
- शिकाऊ उमेदवार, आयटीआय मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्व सत्रातील परिक्षेमध्ये उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

4) **<u>पात्रता</u>**

- उमेदवार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
- शारिरीक क्षमता - बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय परिक्षकाकडून शारिरीदृष्ट्या सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.
- पोलिस चारित्र्य पडताळणी- शिकाऊ उमेदवाराचे चारित्र्य पडताळणी दाखला प्रशिक्षण सुरु झालेल्या तारखेपासून कमाल 02 महिन्याच्या मुदतीत सादर करणे आवश्यक आहे.

5) **<u>वयोमर्यादा</u>**

- प्रशिक्षणार्थीचे वय 14 वर्षापेक्षा कमी नसावे (शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 नुसार).
- शासन निर्णयानुसार कमाल वयोमर्यादा राहिल.

6) **<u>विद्यावेतन</u>**

- शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सुचनेनुसार विद्यावेतन देय राहिल.

7) **<u>निवडीचे निकष व मार्गदर्शक सुचना</u>**

1) केवळ महाराष्ट्र राज्यातून आय.टी.आय. उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांनी www.apprenticeshipindia.gov.in या संकेतस्थळावर Login करुन Apprenticeship Opportunities मध्ये MCGM या संस्थेचा विकल्प निवडावा.

Mahabharti.in

2) उमेदवाराने भरती मेळाव्यात सादर केलेल्या अर्जानुसार त्याला शेवटच्या सत्रात आयटीआय परिक्षेत मिळालेल्या अधिकतम गुणांनुसार तसेच सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार त्याची निवड करण्यात येईल.

3) दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त उमेदवारांचे समान गुण झाल्यास उमेदवाराच्या जन्मदिनांकानुसार वयोज्येष्ठतेने प्राधान्यक्रम देण्यात येईल.

4) इतर राज्यातून महाराष्ट्र राज्यात स्थलांतरीत झालेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांचा आरक्षित पदाकरिता विचार केला जाणार नाही.

5) शासन निदेशानुसार सामाजिक/समांतर आरक्षणाची पदे भरण्यात येतील.

6) सामाजिक/समांतर आरक्षणानुसार पुरेसे उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अधिकतम गुणांच्या निकषानुसार निवडयादीतील पुढील उमेदवारांची निवड करण्यात येईल.

7) निवड करण्यात आलेल्या प्रशिक्षणार्थीच्या नावाची यादी महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/for prospects/Careers-All/Recruitment/Chief Labour Officer या संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात येईल.

8) निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रत्यक्ष बोलावून त्यांच्या मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर निवड झालेल्या उमेदवारांना ऑनलाईन प्रणालीनुसार ऑफर देण्यात येईल. ऑफर दिल्यानंतर व ती ऑफर उमेदवाराने स्वीकारल्यानंतर त्यांच्याबरोबर ऑनलाईन नमुना शिकाऊ उमेदवार करारपत्र (Model Contract of Apprenticeship Training) करण्यात येईल. ऑनलाईन करार झाल्यानंतर उमेदवारांना संबंधित खाते / विभाग / रुग्णालयामध्ये वैद्यकीय तपासणी आणि चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र घेण्यासापेक्ष प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात येईल.

9) निवड झालेल्या उमेदवारास ऑनलाईन प्रणालीनुसार ऑफर पाठविल्यानंतर ०७ दिवसात ऑफर न स्विकारल्यास त्याची निवड रद्द करण्यात येईल. तद्नंतर त्या उमेदवारांची कोणतीही विनंती विचारात घेतली जाणार नाही व गुणवत्ता यादिवरील पुढील उमेदवारांची निवड करण्यात येईल.

10) **शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 मधील कलम 22 अन्वये, शिकाऊ उमेदवारांचा प्रशिक्षण कालावधी संपल्यावर त्यांना महानगरपालिका सेवेत सामावून घेणे बंधनकारक नाही. तथापि निवड झालेल्या उमेदवारांना भविष्यात कायम तत्वावर सेवेत घेण्यास हक्क सांगणार नाही याबाबतचे हमीपत्र लिहून देणे बंधकारक राहिल.**

11) निवड झालेल्या उमेदवारांसोबत शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अंतर्गत, नमुना शिकाऊ उमेदवार करारपत्र (Model Contract of Apprenticeship Training) करण्यात येईल. दर करारपत्र सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तां) यांच्या मंजूरीशिवाय रद्द करता येत नाही याची नोंद घ्यावी.

12) भरती मेळाव्यात उमेदवाराने अर्ज करताना खालील कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती स्वयं सांक्षाकित करुन अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

| | |
|---|---|
| 1. शाळा सोडल्याच्या दाखला/ जन्म दाखला | 6. अधिवास प्रमाणपत्र |
| 2. इयता दहावीची शैक्षणिक अर्हतेबाबतची गुणपत्रे/प्रमाणपत्रे | 7. जात प्रमाणपत्र |
| 3. ITI गुणपत्र/प्रमाणपत्र | 8. आधार कार्ड |
| 4. जात वैधता प्रमाणपत्र (उपलब्ध असल्यास) | 9. पॅन कार्ड |
| 5. संकेतस्थळावरील रजिस्ट्रेशन नंबर | 10. बॅंक खात्याचा तपशील |
| 11. समांतर आरक्षणांतर्गत अर्ज केला असल्यास माजी सैनिक प्रमाणपत्र/अपंग प्रमाणपत्र/खेळाडू प्रमाणपत्र/प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र/अंशकालीन पदवीधर प्रमाणपत्र/भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र. | |

Mahabharti.in

8) <u>**सर्वसाधारण अटी**</u>

1) सदर भरती प्रक्रियेत अंतिम निर्णय घेण्याचे व प्रशासकीय किंवा अन्य कारणास्तव सदर भरती प्रक्रिया कोणत्याही वेळेस, कोणत्याही टप्प्यावर थांबविण्याचे अधिकार **आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका** यांना राहतील.

2) विहित आरक्षणानुसार रिक्त पदांच्या उपलब्धतेप्रमाणे नेमणूका करण्यात येतील. शिकाऊ उमेदवार विहित अर्हता अटी/ शर्ती पूर्ण करीत नसल्याचे कोणत्याही क्षणी निदर्शनास आल्यास त्याची शिकाऊ उमेदवारी रद्द करण्यात येईल.

3) विवाहित महिला उमेदवारांनी नावात बदल झाल्याबाबत,विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच राजपत्राची प्रत सादर करावी, ते नसल्यास विवाहित महिला विवाहापूर्वीच्या नावाने अर्ज करु शकतात.

4) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.राआधो 4019/प्र.क्र.31/16-अ दि.31.05.2021 मधील निर्देशांनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून प्राप्त केलेले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या पात्रतेचे वैध प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. सदर प्रमाणपत्राची वैधता निवड प्रक्रिया चालू असतानाच्या कालावधीतील असावी.

5) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या मागासवर्ग कक्षाचे परिपत्रक क्र.एमबीसी/42 दि.01.06.2023 सोबतचा महाराष्ट्र शासन, महिला व बालविकास विभाग, शासन निर्णय क्र.महिआ 2023/प्र.क्र.123/कार्या-2 दि.04.05.2023 मधील निर्देशांनुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरिता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आलेली आहे. महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domiciled)असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करावे.

6) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील महिलांकरिता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना त्या-त्या मागास प्रवर्गासाठी विहीत करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतूदी लागू राहतील. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्तीच्या वेळी सदर प्रमाणपत्र नसल्यास उमेदवाराचा नियुक्तीकरीता विचार करण्यात येणार नाही.

7) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सत्यता पडताळणीबाबत, महाराष्ट्र शासन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-2021/प्र.क्र.297/मावक दि.26.04.2022 मधील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. सदर आरक्षणांतर्गत निवड झालेल्या उमेदवाराच्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याच्या (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्राची सत्यता पडताळणी, संबंधित प्राधिकरणाकडून केल्यानंतर त्यांची नियुक्ती करण्यात येईल.

8) महाराष्ट्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.अनाथ-2022/प्र.क.122/का-03 दि.06.04.2023 सम क्रमांकाचे शासन पूरक पत्र दि.10.05.2023 मधील निर्देशानुसार अनाथांची पदे भरण्यात येतील. प्रस्तृत पदासाठी अर्ज करताना अनाथ आरक्षणाचा दावा करणाऱ्या उमेदवारांनी सदर शासन निर्णय व शासन पूरक पत्रात विहित करण्यात आलेल्या कार्यपद्धतीनुसार,संस्थात्मक प्रवर्गातील तसेच संस्थाबाह्य प्रवर्गातील अनाथांसाठी प्रमाणपत्र निर्गमित करावयाची कार्यपद्धतीचा अवलंब करून, सुधारित नमुन्यातील अनाथ प्रमाणपत्र व महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अन्यथा अनाथ आरक्षणाचा दावा विचारात घेतला जाणार नाही. अनाथ आरक्षणाच्या माध्यमातून अनाथांच्या एका प्रवर्गासाठी उपलब्ध जागांवर गुणवत्तेनुसार त्या प्रवर्गातील अनाथ उमेदवार पर्याप्त प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकले नाहीत तरी ती पदे अनाथांच्या दुसऱ्या प्रवर्गातील उमेदवारांमधून गुणवत्तेनुसार भरण्यात येतील.

Mahabharti.in

9) उमेदवाराला कोणत्याही न्यायालयाने नैतिक अध:पतन किंवा फौजदारी स्वरुपाच्या खटल्यात शिक्षा दिली असल्यास तो भरतीसाठी अपात्र ठरेल. उमेदवाराविरुध्द पोलिस चौकशी/न्यायालयीन प्रकरण प्रलंबित असल्यास, उमेदवाराने त्याबाबतचा तपशिल देणे आवश्यक आहे.

10) निवड झालेल्या उमेदवाराविरुध्द कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा नोंदविलेला नाही अथवा सिद्ध झालेला नाही असे चारित्र्य प्रमाणपत्र संबंधित पोलीस ठाण्याकडून, करारपत्र(Model Contract of Apprenticeship Training) झाल्यापासून दोन महिन्याच्या आत सादर करणे आवश्यक राहिल. उमेदवाराविरूद्ध कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा आढळून आल्यास, सदर उमेदवाराचे नियुक्ती रद्द करण्यात येईल.

11) पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची एकत्रित सामायिक गुणवत्ता यादी तयार करुन, सदर गुणवत्ता यादीमधील उच्च गुणवत्ताधारक मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुला प्रवर्गाच्या पदाकरिता विचार करण्यात येईल.

12) सदर परिक्षेत उत्तीर्ण उमेदवारांची, निवडीच्या निकषांनुसार, गुणवत्ता, सामाजिक व समांतर आरक्षणानुसार निवडयादी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/for prospects/Careers-All/Recruitment/Chief Labour Officer या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. सदर निवडयादी उमेदवाराच्या मूळ शैक्षणिक व इतर अनुषांगिक प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसापेक्ष असेल. उमेदवाराने आवश्यक प्रमाणपत्रे विहित कालावधीत पडताळणीकरिता सादर न केल्यास त्याचे नाव निवडयादीतून रद्द करण्यात येईल.

13) उमेदवाराची मूळ कागदपत्रे पडताळणी करुन ती नियमानुसार यथायोग्य असल्यास प्रशिक्षणासाठी नेमणूक करण्यात येईल. तथापि, नेमणूकीच्या कार्यवाही दरम्यान उमेदवार निवडीच्या विहीत अर्हता पूर्ण करीत नाही असे निवडीच्या कोणत्याही टप्प्यावर किंवा नियुक्तीनंतर लक्षात आल्यास त्याची नेमणूक रद्द करण्यात येईल.

14) या भरती प्रक्रियेसंदर्भात वेळोवेळी प्रसिध्द होणारी माहिती व सूचना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वरील संकेतस्थळावर प्रसिध्द होणार असल्याने भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदर संकेतस्थळ उमेदवारांनी वेळोवेळी पहावे. याबाबत लेखी स्वरुपात कोणत्याही प्रकारे पत्रव्यवहार केला जाणार नाही.

15) उमेदवार हा महाराष्ट्रातील रहिवासी असावा. सामाजिक व समांतर आरक्षणांतर्गत अर्ज करणाऱ्या उमेदवारास महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. उमेदवाराकडे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र तसेच जन्म तारखेचा दाखला उपलब्ध नसल्यास, त्या उमेदवाराने आपला शाळा सोडल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक राहील. परंतु सदर शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये त्या उमेदवाराचा जन्म महाराष्ट्र राज्यात झाला असल्याची नोंद असणे आवश्यक आहे.

**9) <u>विशेष सुचना</u>**

1) यापूर्वी संबंधित कार्यालयात व अन्य ठिकाणी, अन्य प्रकारे सादर केलेले/प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कोणत्याही व्यक्तिला किंवा इतर दुसऱ्या संस्थेला अर्ज विकणे, स्वीकारणे इत्यादींचा अधिकार दिलेला नाही, याची नोंद घ्यावी.

2) प्रशिक्षणार्थींचे अर्ज भरतीमेळावा पध्दतीने स्वीकारण्यात येणार असल्याने, अर्ज करताना शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, अन्य प्रमाणपत्रे यांच्या स्वयंमसाक्षांकित छायांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. तथापि अर्जामध्ये संपूर्ण माहिती भरणे आवश्यक आहे. अर्ज भरताना काही त्रुटी राहिल्यास अर्ज स्वीकारला जाणार नाही. त्यामुळे उमेदवारांनी अर्ज परिपूर्ण भरण्याची दक्षता घ्यावी.

3) उमेदवाराचा ई-मेल आयडी, मोबाईल क्रमांक आणि पत्रव्यवहाराचा सध्याचा पत्ता (पिन कोड सह) सुस्पष्ट व पूर्ण असावा.

4) प्रशिक्षणार्थीने अर्ज करण्यापूर्वी तो संबंधित उदिमाची अर्हता पूर्ण करतो की नाही याची खात्री करावी.

5) शिकाऊ उमेदवारास प्रशिक्षण कालावधीमध्ये आस्थापनेवरील प्रत्यक्ष काम करणे बंधनकारक असेल.

6) शिकाऊ उमेदवार विहित अर्हता व अटी पूर्ण करीत नसल्याचे किंवा निवड प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर किंवा नियुक्तीनंतर कोणत्याही क्षणी उमेदवाराने चुकीची / खोटी माहिती / प्रमाणपत्रे / कागदपत्रे सादर केल्याचे किंवा माहिती दडवून ठेवल्याचे कोणत्याही क्षणी कोणत्याही टप्प्यावर निदर्शनास आल्यास त्याचे प्रशिक्षण रद्द

Mahabharti.in

करण्यात येईल. नेमणूक झाली असल्यास कोणतीही सूचना न देता नेमणूक/करारपत्र (Model Contract of Apprenticeship Training) रद्द करण्यात येईल व याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार विचारात घेतला जाणार नाही.

7) निवड झालेल्या उमेदवारांची बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्याही कार्यालयात प्रशिक्षणार्थी म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल व नियुक्तीनंतर महापालिकेच्या आवश्यकतेनुसार तिन्ही पाळींमध्ये(Shift Duty) प्रशिक्षण घ्यावे/काम करावे लागेल.

8) भरतीमेळाव्यास स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल. निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षण कालावधीमध्ये महापालिकेचे निवासस्थान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही व निवासस्थान देण्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

9) शिकाऊ उमेदवार निवड प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना राहतील.

सही/-11.08.2026

प्रमुख कामगार अधिकारी

Mahabharti.in

# बृहन्मुंबई महानगरपालिका

कामगार विभाग

शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अन्वये शिकाऊ उमेदवार भरती मेळाव्यात सादर करावयाच्या अर्जाचा नमूना.

| | |
|---|---|
| ज्या उदिमासाठी (ITI Trade Name) अर्ज केला आहे त्या उदिमाचे नाव:- | उमेदवाराने त्याचे अलिकडच्या काळात काढलेले पारपत्र आकाराचे छायाचित्र लावून फोटोवर स्वत:ची स्वाक्षरी करावी. २.५ से.मी. X ३ से.मी. |
| अर्जदाराचे संपूर्ण नाव (मराठी)<br>एस.एस.सी. प्रमाणपत्रा प्रमाणे -श्री./श्रीम.- | |
| Applicant's Full Name (English)<br>As per SSC Mark sheet -Shri/Smt.- | |

| Last Name | First Name | Middle Name |
|---|---|---|

| मोबाईल क्रमांक | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| आधार क्र. | | | | | | | | | | | | |

www.apprenticeship.gov.in या संकेतस्थळावरील Online Registration No. A________________

संपूर्ण पत्ता (पिन कोड सह):-

E-mail ID-

| जन्मदिनांक:- | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | योग्य ठिकाणी (√) असे चिन्ह करा. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| माध्यमिक शालांत परिक्षेत 100 गुणांची प्रश्नपत्रिका असलेला मराठी विषय घेऊन उत्तीर्ण आहात का ? | होय | | नाही | |
| आपण सामाजिक आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिता का ? होय / नाही | जातप्रवर्ग:- | | | |

| आपण समांतर आरक्षणाचा लाभ घेऊ इच्छिता का ? | होय | | नाही | | अनाथ | | महिला | | माजी सैनिक | | अंशकालीन पदवीधर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिव्यांग | | खेळाडू | | प्रकल्पग्रस्त | | भूकंपग्रस्त | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे नवीनतम प्रमाणपत्र आहे का ? | होय | | नाही | |
| आपणाकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र आहे का ? | होय | | नाही | |
| महाराष्ट्र राज्यातून आयटिआय उत्तीर्ण केले आहे का ? | होय | | नाही | |
| शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 अन्वये यापूर्वी प्रशिक्षण (Apprenticeship) घेतले आहे का ? | होय | | नाही | |

| माध्यमिक शालांत परिक्षा किंवा तत्सम | उत्तीर्ण वर्ष | शाळेचे नाव | मंडळाचे नाव | | मिळालेले गुण | एकूण गुण | टक्केवारी | मराठी विषयाचे गुण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एस.एस.सी. | | | | | | | | |
| उदिमाचे नाव | उत्तीर्ण वर्ष | संस्थेचे नाव | एकूण सत्राची संख्या | प्रथम सत्र गुण | द्वितीय सत्र गुण | तृतीय सत्र गुण | चतुर्थ सत्र गुण | एकूण सत्र गुण |
| | | | | | | | | |

सदर अर्जासोबत खालील कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती स्वयं साक्षाकित करुन जोडावीत.

| | | |
|---|---|---|
| 1. शाळा सोडल्याच्या दाखला / जन्म दाखला | 4. जात प्रमाणपत्र | 7. महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र |
| 2. इयता दहावीची शैक्षणिक अर्हतेबाबतची गुणपत्रे/प्रमाणपत्रे | 5. जात वैधता प्रमाणपत्र (उपलब्ध असल्यास) | 8. आधार कार्ड |
| 3. ITI गुणपत्र/प्रमाणपत्र | 6. संकेतस्थळावरील रजिस्ट्रेशन नंबर | 9. पॅन कार्ड |

10. समांतर आरक्षणांतर्गत अर्ज केला असल्यास माजी सैनिक प्रमाणपत्र/अपंग प्रमाणपत्र/खेळाडू प्रमाणपत्र/प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र/अंशकालीन पदवीधर प्रमाणपत्र/भूकंपग्रस्त प्रमाणपत्र.

मी, यान्वये प्रतिज्ञापूर्वक असे जाहीर करतो/करते की, वरील माहिती जाणीवपूर्वक तसेच विश्वासपूर्वक दिली असून, ती खरी आहे. उपरोक्त नमूद केलेली सर्व माहिती खरी असून, त्यापैकी कोणतीही माहिती खोटी आढळल्यास माझा अर्ज फेटाळून लावल्यास किंवा निवडीच्या कुठल्याही टप्प्यावर माझी प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ उमेदवारी रद्द केल्यास तसेच उपरोक्त दिलेल्या माहितीच्या आधारे नियुक्ती झालेली असल्यास सेवेतून कमी केल्यास त्याबाबत माझी काहीही तक्रार रहाणार नाही. शिकाऊ उमेदवार अधिनियम 1961 मधील कलम 22 अन्वये, शिकाऊ उमेदवारांचा प्रशिक्षण कालावधी संपल्यावर त्यांना महानगरपालिका सेवेत सामावून घेणे बंधनकारक नाही याची मला जाणीव आहे. तथापि, शिकाऊ उमेदवार म्हणून माझी निवड झाल्यास भविष्यात कायम तत्त्वावर सेवेत घेण्यास हक्क सांगणार नाही, याबाबत मी हमी देत आहे. अर्जाद्वारे दिलेली कोणतीही माहिती खोटी आढळल्यास बृहन्मुंबई महानगरपालिका माझ्याविरुध्द कायदेशीर कारवाई करु शकते याची मला जाणीव आहे.

दिनांक-

ठिकाण-

सही/-

(                    )

उमेदवाराचे नाव